

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 जून 2013—ज्येष्ठ 22, शक 1935

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जून 2013

क्र. 32-ज.विनि.-अ.-2013-मध्यम.—मध्यप्रदेश विनियमन अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 2, सन् 2013) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 1 जुलाई 2013 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अध्यादेश प्रवृत्त होगा.

Order No. XXXII-Ja.Vini-A-2013-Medium.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Jal Viniyaman Adhyadesh, 2013 (No. 2 of 2013), the State Government, hereby, appoints the 1st day of July 2013 as the date on which the said Ordinance shall come into force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. एस. टेकाम, उपसचिव.